

(प्रोफार्मा -7)

नोटराइज्ड शपथ-पत्र

( रूपये 100 के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )

मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी/ मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....  
निवासी.....मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक /  
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र ..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।  
मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018,  
संशोधन जून 2019, एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 तथा संशोधन दिनांक 26 जुलाई 2022 को  
भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।  
मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैंने अन्यत्र राज्य से स्थानीय निवासी / मूल निवासी  
प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, एवं मैंने अन्य किसी राज्य से स्थानीय निवासी /मूल निवासी  
होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है ।  
मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा प्रवेश  
निरस्त कर दिया जायेगा।  
**नोट :-अभ्यर्थी के व्यस्क न होने पर शपथपत्र पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के अविभावक द्वारा किये  
जायेंगे ।**

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/अविभावक

नाम- .....

पता- .....

दिनांक- .....